न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं.02, पीलीभीत।

<u>दिनांक 17.08.2022</u>

अभियुक्त रामप्रताप की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 414/2022 अतंर्गत धारा– 60(2) आबकारी अधि0 थाना–बिलसण्डा जिला पीलीभीत में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त 12.08.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी को उक्त वाद में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष हैं। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई तथा दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार हैं। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उप. रोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रामप्रताप की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 414/2022 अतंर्गत धारा–60(2) आबकारी अधि0 थाना–बिलसण्डा, जिला पीलीभीत में मु. 20,000/–रू0 का एक निजी बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर दौरान मुकदमा उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(अभिनव तिवारी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं. 02 पीलीभीत